

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश,  
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017  
विषय- जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/ 523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-21/2017/704/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 30-11-2017 द्वारा जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में निर्देश किये गये हैं। यह स्टेट जेम पूल एकाउण्ट शासनादेश दिनांक 30-11-2017 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा खोला जाना है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेम पोर्टल से सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने विषयक संदर्भगत शासनादेश दिनांक 30-11-2017 में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने एवं उसके संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, उद्योग से अनिम्न अधिकारी को नामित करते हुये भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ में खोला जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत करायें।

3- संदर्भगत शासनादेश दिनांक 30-11-2017 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-एफ0ए-1-421/दस/2017, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अनिल कुमार )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2017/991(1)/18-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश ।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 10- अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 12- भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ।
- 13- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( पन्ना लाल )

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।